

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेश चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी डीडीएमए रुद्रप्रयाग	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1155 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक:- 1851/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पौड़ी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/7वां वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/गोपेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गुप्तकाशी डीडीएमए रुद्रप्रयाग।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।
6. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
7. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

*C/Hansab*  
14/08/18  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अ.व.क.)  
विभागाध्यक्ष, क. वर्ग  
लो0नि0वि0, देहरादून  
14/08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक / 3 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री विनोद प्रसाद डोबरियाल, सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट	चतुर्थ वृत्त, लो०नि०वि०, ऊधमसिंहनगर	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के इरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।


(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1157 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in


Web- http://pwd.uk.gov.in

पत्रांक:- 1853/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/पी0एम0जी0एस0वाई0/रा0मा0 कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ/10वां रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, ऊधमसिंहनगर/देहरादून/श्रीनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट/कीर्तिनगर।
5. श्री विनोद प्रसाद डोबरियाल, सहायक अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
अधीक्षण अभियन्ता (चतुर्थ/10वां)  
विभागाध्यक्ष कार्यालय  
लो0नि0वि0, देहरादून  
14/08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- / III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018  
-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री जगन्नाथ पटवाल, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी	कार्यालय मुख्य अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जेनरल के वरिष्ठ/कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1150 / III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

1854  
14-08-18

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1854/35व्यक-सा०/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/पी०एम०जी०एस०वाई० कार्यालय, लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 12वां/पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि०, पौड़ी/श्रीनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी/कीर्तिनगर।
5. श्री जगन्नार्थ पटवाल, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
अभियन्ता (क) / जल संवर्धन (संरक्षण) विभाग  
विभागाध्यक्ष कार्यालय  
लो०नि०वि०, पौड़ी, देहरादून  
14/08/18

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रभुलाल डोभाल, सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1159 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

1855  
14-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwwd@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1855/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/अल्मोड़ा।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता।
5. श्री प्रभुलाल डोभाल, सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
प्रमुख अभियन्ता (व्यवस्थापन)  
कार्यालय  
नियंत्रक विभाग, देहरादून  
14/08/18



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018  
-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री नरेश चन्द्र, प्र० सहायक अभि०	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, काठगोदाम	विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, द्वाराहाट

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1153 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

1849  
14-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1849/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/विश्व बैंक लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/विश्व बैंक वृत्त, लो0नि0वि0, ज्योलीकोट/पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम/द्वाराहाट/चम्पावत।
5. श्री नरेश चन्द्र, प्रभारी सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
14/08/18  
अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)  
विभागाध्यक्ष कार्यालय  
लो0नि0वि0, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री के०एस० रावत, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चम्बा	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1154 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

1850  
14-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक:- 1850/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी/अल्मोड़ा।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/8वां वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/टिहरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा/अल्मोड़ा।
8. श्री के0एस0 रावत, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा।
9. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
10. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

प्रमुख अभियन्ता (अ.प्र.प्र.)

विभागाध्यक्ष कार्यालय

14/08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-48(अधि)/2009 टीसी0-बी-11  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या-1688/34व्यक-स्था0-सा0/18, दिनांक 24.07.2018 के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभाग में सम्बद्ध कार्मिकों को अपने मूल तैनाती के कार्यालय में योगदान करने के आदेश पारित किये गये। उक्त के क्रम में श्री कमल किशोर उनियाल, प्रभारी सहायक अभियन्ता जो निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून में सम्बद्ध हैं, को उनके द्वारा प्रचलित महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुये उनकी सम्बद्धता मात्र माह मार्च, 2019 तक के लिए निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून में यथावत् बनाये रखा जाता है।

उक्त अवधि के पश्चात् श्री कमल किशोर उनियाल, प्रभारी सहायक अभियन्ता स्वतः ही कार्यमुक्त समझे जायेंगे।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1189 /III(1)/17-48(अधि)/2009 टीसी0-बी-11, तददिनांक।  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिसासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

1845  
14-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1845/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून/चकराता।
5. श्री कमल किशोर उनियाल, प्रभारी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
उपरोक्त अभियन्ता (व्यक्तिगत)  
निर्माण खण्ड, कार्यालय  
लो0नि0वि0, देहरादून  
दिनांक: 14/08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09टीसी0-3  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1470/35व्यक-सा0/17, दिनांक 20.07.2017 के द्वारा श्री नवीन कौशिक, प्रभारी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूडकी का स्थानान्तरण निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो में किया गया था। श्री कौशिक के पुत्र के ब्लड कैंसर के प्रचलित उपचार को दृष्टिगत रखते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1537/46(अधि0)/टीसी0-3, दिनांक 25.10.2017 के द्वारा श्री कौशिक को दिनांक 31.03.2018 तक के लिए निर्माण खण्ड, रूडकी में यथावत् बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये। तदोपरान्त श्री कौशिक द्वारा पुनः अपने पुत्र के ब्लड कैंसर होने सम्बन्धी राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुये उनका स्थानान्तरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। तदक्रम में प्रमुख अभियन्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.06.2018 के द्वारा श्री नवीन कौशिक का बैजरो में किये गये स्थानान्तरण को निरस्त कर निर्माण खण्ड, रूडकी में ही बनाये रखे जाने का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया गया।

अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा श्री नवीन कौशिक के पूर्व में निर्माण खण्ड, बैजरो में किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करते हुये श्री नवीन कौशिक, प्रभारी सहायक अभियन्ता को निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूडकी में ही यथावत् बनाये रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1150 /III(1)/18-46(अधि0)/09टीसी0-3, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1846/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/पौड़ी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/12वां वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार/पौड़ी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की/बैजरो।
5. श्री नवीन कौशिक, प्रमारी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (प्रमुख) (क)  
दिनांक: 14/08/2018  
14/08/2018



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या-1151 /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री रमेश सिंह मेहरा, प्र० सहायक अभि०	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1151 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

1847  
14-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwdak@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1847 / 35व्यक-सा0 / 18

दिनांक:- 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/ए0डी0बी0 कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ/ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, ऊधमसिंहनगर/टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर/उत्तरकाशी।
5. श्री रमेश सिंह मेहरा, प्रभारी सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
प्रमुख अभियन्ता, क्षेत्रीय/ए0डी0बी0 कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/देहरादून।  
दिनांक: 14/08/2018  
निर्देश

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे, प्र० सहायक० अभि०	क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०,अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट	निर्माण खण्ड ए०डी०वी०, लो०नि०वि०, बागेश्वर

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1152/III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1848/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/ए0डी0बी0 कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट/बागेश्वर।
5. श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
14/08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री कविन्द्र सिंह गड़िया, प्रभारी सहायक अभियन्ता	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़	ए०डी०बी० खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1162/III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eiecpwduk@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1858/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/अल्मोड़ा।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
5. श्री कविन्द्र सिंह गड़िया, प्रभारी सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
प्रतिभासी अभियन्ता (अभियन्ता)  
विभागाध्यक्ष, कार्यालय  
लो0नि0वि0, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता।	ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी डीडीएमए रुद्रप्रयाग	ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1161 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-ecpwwd@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1857/35व्यक-सा०/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/ए०डी०बी० कार्यालय, लो०नि०वि०, पौड़ी/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/ए०डी०बी० वृत्त, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग/पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी डीडीएमए रुद्रप्रयाग।
5. अधिशासी अभियन्ता, ए०डी०बी० खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल/बागेश्वर।
6. श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता, ए०डी०बी० खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल।
7. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
उत्तराखण्ड प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग,  
लो०नि०वि०, निर्माण विभाग, देहरादून  
14/08/18



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री हीरा बल्लभ भट्ट, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट	विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, डीडीहाट


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वर्तन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1160 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1856/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/विश्व बैंक कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/तृतीय/विश्व बैंक वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय/विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट/डीडीहाट/नैनीताल।
5. श्री हीरा बल्लभ भट्ट, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
विभागाध्यक्ष कार्यालय, उत्तराखण्ड  
विश्व बैंक, देहरादून  
दिनांक: 14/08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री राकेश सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि० कर्णप्रयाग	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि, अल्मोड़ा	क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, टिहरी

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1156 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

1852  
4-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1852/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी/अल्मोड़ा/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/गोपेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/कर्णप्रयाग।
5. श्री राकेश सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
14/08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री सुभाष चन्द्र बिजलवाण, कनिष्ठ अभियन्ता।	ग्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, कालसी	निर्माण खण्ड, चिन्वालीसोड रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1163 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव  
P-706




पत्रांक: 599/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/ पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, टिहरी/अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 08 वॉ/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/मसूरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी /कालसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री अमित चौहान, अपर सहायक अभि०	निर्माण खण्ड, चिन्वालीसौड	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रपुर	निर्माण खण्ड, चिन्वालीसौड रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या /164 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P-7-0



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwwd@nic.in](mailto:eicpwwd@nic.in)

पत्रांक: 400/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 17/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, टिहरी/हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 06 वॉ/चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी/रुद्रपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय झाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती कुसुमलता तिवाड़ी, अपर सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रपुर	पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड, पोखरी रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1165 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P-TO



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 1/2 व्य-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/हल्द्वानी/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 07 वॉ/चतुर्थ/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर/ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0) लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर/रुद्रपुर/पोखरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री दीपक सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता।	पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड पिथौरागढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोहाघाट	पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड पिथौरागढ़ रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1166 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P-7-0



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)




पत्रांक: 2/व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 /राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/ हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 /राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़/ लोहाघाट।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, कपकोट	पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड, कालसी	निर्माण खण्ड, कपकोट रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1467/III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P-TO



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 603/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक: 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर/मसूरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग कपकोट/कालसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14-08-18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री गोविन्द सिंह महारा, अपर सहायक अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, कपकोट	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग	निर्माण खण्ड, कपकोट रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या || 60 / III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P-TO



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>



E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 604/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/ अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट/ बेरीनाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड फत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
  
14.08.18



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति सुमन बिष्ट, कनिष्ठ अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, कीर्तिनगर	निर्माण खण्ड, दुगड़डा	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कीर्तिनगर रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)


2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1169 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा सं,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P-T-0



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)



पत्रांक: 65/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/ पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, टिहरी/ पौड़ी/ देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 08 वॉ/12 वॉ/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/ पौड़ी/ श्रीनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई /निर्माण/ पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर/दुगड़डा/ कीर्तिनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री मान सिंह, अपर सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	प्रान्तीय खण्ड रुद्रपुर	निर्माण खण्ड ऊखीमठ रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1170 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P-T-0



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"ब्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 606/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/इल्हानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग/ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण /प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमत/रुद्रपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(अमिन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
Am  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सती, कनिष्ठ अभि०	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कॉट	ए०डी०वी० दुगडडा	ए०डी०वी० आपदा खण्ड, नैनीताल रिक्त पद पर

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 117/ /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O.



Phone & Fax:- 0135-2530487, 2530431  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून  
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND  
Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)




पत्रांक: 607/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/ए0डी0बी0 लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय/ए0डी0बी/ए0डी0बी(आपदा) वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ /टिहरी/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/ए0डी0बी0/ए0डी0बी(आपदा) खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट/दुगड़डा/ नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रादली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14-08-18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री सुशील कुमार, अपर सहा० अभियन्ता	निर्माण खण्ड, ए०डी०बी० पौड़ी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	निर्माण खण्ड, ए०डी०बी० पौड़ी रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1172/III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O.




पत्रांक: 109/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/ए0डी0बी0 लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ/ए0डी0बी वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंनगर/ टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय /निर्माण खण्ड ए0डी0बी0 लोक निर्माण विभाग पौड़ी/ रुद्रपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018  
-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री विवेक सिंह धर्मशक्त, कनिष्ठ अभियन्ता।	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, धारचूला- मुनस्यारी	राष्ट्रीय राजमार्ग रानीखेत	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, धारचूला- मुनस्यारी रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1173 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून  
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND



Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwwd@nic.in](mailto:eicpwwd@nic.in)

पत्रांक: 409/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0/राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग धारचूला-मुनस्यारी/रानीखेत।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14-08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय झाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री छबील दास सैनी, अपर सहायक अभियन्ता।	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1174 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिसासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक 1010 / 2 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 09 वॉ / 12 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई / प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश / पौड़ी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द सिंह पंवार)

अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री मनोज महतोलिया, अपर सहायक अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी रिक्त पद पर

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1175 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P. T. O.



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)





पत्रांक: 411 / 2 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फॉक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/ अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी/ रानीखेत।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सल्ट	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1176 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा सं.  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक. 612 / 2 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त / योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स / ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) / पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय / पी0एम0जी0एस0वाई0 / प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल / ज्योलीकोट / अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड / पी0एम0जी0एस0वाई0 / प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी / सल्ट / अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018  
-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री हेम चन्द, अपर सहायक अभियन्ता।	पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त लो०नि०वि०, ज्यालीकोट (संवर्गाव)	विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, द्वाराहाट रिक्त पद पर

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1177 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwwd@nic.in](mailto:eicpwwd@nic.in)

पत्रांक 613 / 2 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० / विश्व बैंक लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा / देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० / विश्व बैंक वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ज्योलीकोट / टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० / विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग टिहरी / द्वाराहाट।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय झाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री अतुल राणा, कनिष्ठ अभियन्ता।	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुड़की (देहरादून)	वर्ल्ड बैंक टिहरी	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुड़की (देहरादून)

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1178 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P. T. O



Phone & Fax:- 0135-2530487, 2530431  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून  
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND



Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwwd@nic.in](mailto:eicpwwd@nic.in)


पत्रांक: 14/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग/विश्व बैंक लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 10 वॉ राष्ट्रीय राजमार्ग/विश्व बैंक वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग/विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग रुड़की/टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

  
14/08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री अशोक सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता।	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड, रानीखेत	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1179 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 615 / 2 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फॅक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा / रानीखेत।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून  
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 2 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त, अपर सहायक अभि०	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोडा	निर्माण खण्ड, कपकोट	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोडा


2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1106 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव; मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)




पत्रांक: 616 / 2 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/ सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/ बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा/ कपकोट।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड फ़ाइल।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री उमाशंकर कुकरेती कनिष्ठ अभियन्ता।	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन	पी०एम०जी०एस०वाई० कोटद्वार	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1101 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
'व्यवस्थापन 'घ' वर्ग' उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P. W. D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 1/7/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ / पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / श्रीनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड / पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग लैन्सडौन कोटद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द सिंह पंवार)

अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

14/08/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 क अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री रुकम सिंह चौहान कनिष्ठ अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, बैजराँ	निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर।	निर्माण खण्ड, बैजराँ


2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1182-III(1)/18-46(अधि)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwwd@nic.in](mailto:eicpwwd@nic.in)

पत्रांक: 617 / 2 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / टिहरी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ / 08 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बैजरों / नरेन्द्रनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री रमेश सिंह, अपर सहायक अभियन्ता।	अस्थाई खण्ड, ऋषिकेश	अस्थाई खण्ड, थराली	अस्थाई खण्ड, थत्यूड

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1183 /III(1)/18-46(अधि)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 619 / 2 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/टिहरी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 09 वॉ / 07 वॉ / 08 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/गोपेश्वर/टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश/धराली/थत्युड़।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड फत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018  
-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री सोनू दीप, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	निर्माण खण्ड, चम्बा	वि०/यां० खण्ड, भीमताल	निर्माण खण्ड, चम्बा

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1184 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[cicpwduk@nic.in](mailto:cicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 620/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, टिहरी/हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 08 वॉ /05 वि0/या0 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/वि0/या0 खण्ड लोक निर्माण विभाग चम्बा/भीमताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18



उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018  
-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री रोहित कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी	निर्माण खण्ड, खटीमा	निर्माण खण्ड, काशीपुर रिक्त पद पर

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1185 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 14/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, टिहरी / हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 08 वॉ/चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/ निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग टिहरी/ खटीमा/ काशीपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून  
वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री संजय सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	निर्माण खण्ड, पौड़ी	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग	निर्माण खण्ड, पौड़ी

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1186 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P. W. D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>



E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक: 622/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ/07वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण/प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पौड़ी/ कर्णप्रयाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी/अभियन्ता (अधिष्ठान)  
  
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री आशीष सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	वि०/या० खण्ड गोपेश्वर	वि०/या० खण्ड, बाजपुर	वि०/या० खण्ड, देहरादून

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1107/III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक 623 / 2 व्यघ-सानान्य / 17

दिनांक 11 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 05 वॉ/11 वॉ वि०/या० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/ देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता वि०/या० खण्ड लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर/ बाजपुर/ देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

  
(आनन्द सिंह पंवार)  
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)  
16.08.18

14/08/18

(2757)

MD  
11/08/18

C.E (Hd)

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09,टीसी-04

देहरादून, दिनांक 16 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

179

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, बैजरों में सहायक अभियन्ता के स्वीकृत 04 पदों के सापेक्ष सहायक अभियन्ता कार्यरत न होने के दृष्टिगत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	टिप्पणी
1	2	3	4	
1.	श्री सुभम पुण्डीर, सहायक अभियन्ता।	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग टिहरी।	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरों।	स्वीकृत सहायक अभियन्ता के 05 पदों के सापेक्ष 06 कार्यरत। खण्ड में अधिकतम अवधि से कार्यरत सहायक अभियन्ता।

1173

EE (अधि0/15)

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

SAO ल्य क

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1193 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-04, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

14/08/18

20/08/18

20/08/18

आज्ञा से,  
(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

1879  
20-08-18

EE (अधिष्ठापन)



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[ecpwwd@nic.in](mailto:ecpwwd@nic.in)

पत्रांक:- 1879/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 20/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रण अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी।/पौड़ी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 8वां/12वां वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी/पौड़ी।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी/बैजरो।
5. श्री शुभम पुण्डीर, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी।
6. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करना।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

20/08/18  
20/08/18



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- /III(1)/18-46(अधि)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 14 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1161/III(1)/18-46(अधि)/09 टीसी-4(1), दिनांक 13.08.2018 के द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण ए0डी0बी0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल से ए0डी0बी0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर में किया गया है। श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-230/एस0बी0/2018 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने अनन्तिम आदेश दिनांक 15.06.2018 के द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.06.2018 को स्थगित रखा गया है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.06.2018 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.06.2018 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.08.2018 के द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी के किये गये स्थानान्तरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी अपने पूर्ववर्ती तैनाती के स्थान पर यथावत् बने रहेंगे।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1196 /III(1)/18-46(अधि)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

1893  
21-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक:- 1893/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 21/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल/बागेश्वर।
5. श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

*[Handwritten Signature]*  
21/08/18

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- /III(1)/18-46(अधि)/09, टीसी-4(1)  
देहरादून, दिनांक 14 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1155/III(1)/18-46(अधि)/09 टीसी-4(1), दिनांक 13.08.2018 के द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा से निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत में किया गया है। श्री सुरेश चन्द्र जोशी द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-231/एस0बी0/2018 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2018 को निर्णय पारित करते हुये आदेश दिये हैं कि याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण 08 सप्ताह के भीतर किया जाय, तब तक प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.06.2018 को स्थगित रखा गया है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.06.2018 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.06.2018 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.08.2018 के द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जोशी के किये गये स्थानान्तरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री सुरेश चन्द्र जोशी अपने पूर्ववर्ती तैनाती के स्थान पर यथावत् बने रहेंगे।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1197/III(1)/18-46(अधि)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

1892  
21-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <http://pwd.uk.gov.in>


E-Mail-[cicpwduk@nic.in](mailto:cicpwduk@nic.in)

पत्रांक:- 1892/35व्यक-सा0/18

दिनांक: 21/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ~~राजीवपुर~~।
5. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
21/08/18  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

5-15  
14/08/18

(2738)

PID  
116-08-18

E.E (H.A.)

1/18

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या- /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-04  
देहरादून, दिनांक 14 अगस्त, 2018

-: कार्यालय झाप :-

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, बैजरों में सहायक अभियन्ता के स्वीकृत 04 पदों के सापेक्ष सहायक अभियन्ता कार्यरत न होने के दृष्टिगत निम्नलिखित प्रभारी सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	टिप्पणी
1	2	3	4	
1.	श्री वृजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रभारी सहायक अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, ए०डी०बी०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर।	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरों।	स्वीकृत सहायक अभियन्ता के 02 पदों के सापेक्ष 03 कार्यरत। खण्ड में अधिकतम अवधि से कार्यरत सहायक अभियन्ता।

1172

E.E (अधि 2/17)

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

SAO का

20/08/18

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 1192 /III(1)/18-46(अधि0)/09, टीसी-4, तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

1/18

20/08/18

आज्ञा से

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव

1880  
20-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail: eicpwdt@nic.in


Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1880/35व्यक-सा0/18

दिनांक:- 20/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित गियर अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/पौड़ी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0/12वां वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़/पौड़ी।
4. अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर/बैजरो।
5. श्री वृजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रभारी सहायक अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर।
6. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करें।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
20/08/18  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (क) वर्ग  
विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड  
लो0नि0वि0, देहरादून